संख्या-25/2022/42/30-3-22-6बी/2014

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2022

विषय - उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 17-02-2021 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1924स0सु0/2021-08स0सु0/2021, दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 17-02-2021 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष कोष प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि क्रमश: रू0 200.00 लाख, रू0 10.00 लाख, रू0 9.00 लाख, रू0 15.00 लाख एवं रू0 15.40 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 249.40 लाख (रू0 दो करोड़ उनचास लाख चालीस हजार मात्र) को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हेतु उनके सम्मुख विवरण एवं धनराशि के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू0 लाख में)

प्रस्तावित मद	कोष प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि	शासन द्वारा व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि	आवंटन/ व्यय	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अनुमोदित धनराशि
1. सड़क सुरक्षा नियमों का विभिन्न माध्यमों यथा .एम .एफ-रेडियो वाइस मैसेज टेलीविजन पर विज्ञापन प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया स्टैण्डी बैनर प्लेकार्ड ग्राउण्ड होर्डिंग इलेक्ट्रिक पोल यूनीपोल / ट्रीएल/गार्ड-0इ0डी0 स्क्रीन मोबाइल वैन हैण्डबिल -पोस्टर समाचार पत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता रैली कैलेण्डर स्टीकर पब्लिसिटी वैन विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता चित्रकला /रंगोली रैली के / निबन्ध प्रतियोगिता/	**920.89**	**358.10**	**324.63**	**200.00**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आयोजन एवं पुरस्कार वितरण आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार26 जनवरी की रैली तथा ट्रेन के बोगी में सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार/प्रसार तथा प्राथमिक-अपर प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में प्रदर्शन हेतु सड़क सुरक्षा संबंधी कैलेण्डरचार्ट / की द्वितीय किस्त हेतु। 2. जिलाबैठकों के आयोजन मण्डल सड़क सुरक्षा समिति की/ एवं अन्य सड़क सुरक्षा सप्ताहके (प्रादेशिक /राष्ट्रीय) माह/ आयोजन हेतु व्यय वर्कशाप नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन महत्वपूर्ण मेलों तथा महोत्सवों जैसेगंगा स्नान गढ़-गंगाप्रयाग माघ मेला एवं लखनऊ महोत्सव जैसे कार्यक्रमों / में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रचारप्रसार हेतु - ल का लगाया जाना।स्टॉ 3.(1) स्कूलकालेजों में सड़क सुरक्षा क्लब की स्थापना एवं / संचालन। (2) प्राथमिकअपर प्/राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में प्रदर्शन हेतु सड़क सुरक्षा संबंधी कैलेण्डर चार्ट हेतु। 4. ड्राइविंग लाईसेंस के साथ सड़क सुरक्षा सबंधी भेजे जाने वाला संदेश पत्र				
5. कार्यालय व्यय एवं अन्य विविध व्यय /कार्यालय व्यय-वाहनों के ईंधन/रखाव-रख/ रोड सेफ्टी वेबसाइट/ स्टेशनरी / कम्प्यूटर /प्रिन्टरसॉफ्टवेयर आदि के क्रय।/	**40.00**	**13.22**	**11.33**	**10.00**
6. सड़क सुरक्षा सेल में तैनात 04 विशेष कार्याधिकारियों तथा कार्मिकों का वेतनमानदेय। /	**125.00**	**12.82**	**1.50**	**9.00**
7. परिवहन विभाग द्वारा 12 पब्लिसिटी वैन का संचालन व रखरखाव हेतु।-	**36.00**	**15.86**	**15.86**	**15.00**
8. ऑटोमेटिक ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक बरेली एवं इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर लखनऊ के संचालन एवं रखरखाव - हेतु।	**100.00**	**39.00**	**39.00**	**15.40**
योग-		**439.00**	**392.32**	**249.40**

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(5) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(6) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के राजस्व मद के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख से वहन किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधिानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2022/42(1)/30-3-2022, तद्दिनांक।

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।